अध्याय 8

प्रकीर्ण

84. औषधीय और प्रसाधन निर्मितियां (उत्पाद-शुल्क) अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (1) में, "शुल्क्य माल" शब्दों के पश्चात् "(जिसके अंतर्गत विशेष आर्थिक जोन में उत्पादित या विनिर्मित माल नहीं है)" कोष्ठक और शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

1955 के अधिनियम 16 की धारा 3 का संशोधन ।

85. वित्त अधिनियम, 2001 की सातवीं अनुसूची का ग्यारहवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधन किया जाएगा।

2001 के अधिनियम 14 का संशोधन ।

86. वित्त अधिनियम, 2005 की सातवीं अनुसूची का बारहवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधन किया जाएगा ।

2005 के अधिनियम 18 का संशोधन ।

अनन्तिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 के अधीन घोषणा

यह घोषणा की जाती है कि लोकहित में यह समीचीन है कि इस विधेयक के खंड 60, खंड 62, खंड 74, खंड 85 और खंड 86 के उपबंध अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 के अधीन तुरंत प्रभावी होंगे ।

1931 का 16

http://indiabudget.nic.in